—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 75/2022

उनवान

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह,
2. सरोज पुत्री रामसिंह,
3. प्रेम पुत्री रामसिंह,
4. सम्पा पुत्री रामसिंह,
5. गीता पुत्री रामसिंह समस्त जातिगण रावत निवासीगण भवानीखेडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. लाल सिंह पुत्र घीसा सिंह जाति रावत निवासी भवानीखेडा, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव, 2 जरियें राज. पैरोकार

3. विरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह जाति रावत निवासी भवानीखेडा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थी :—

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 29/8/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर167 रकबा 1.47 व 172 रकबा 0.61 की आराजी के मूल खातेदार भोमा सिंह, राम सिंह, लाल सिंह पि. घीसा सिंह दर्ज चले आ रहे है। भोमा सिंह की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। उक्त आराजी पर राम सिंह व लाल सिंह का बराबर हक व हिस्सा निहित है। राम सिंह के वारिस प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 3 है। लाल सिंह अप्रार्थी संख्या 1 है। आराजी मुतनाजा अविभाजित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी की जा रही है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मृतक भोमा व उसकी पत्नी देउ ने अपने जीवनकाल में राहुल पुत्र अजमाल को जरियें पंजीकृत गोदनामा दिनांक 3.5.2005 को गोद लिया था। हाजा न्याया[illegible] संख्या 139/2007 दर्ज हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा [illegible]नीखेडा की अन्य आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी एक ही परिवार [illegible] से अपने भाई राम सिंह व लाल सिंह पुत्र घीसा के [illegible] था। पूर्व में पारित स्थगन आदेश निरस्त कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 की तामीली नही करायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 1.47 व 172 रकबा 0.61 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में भोमा सिंह, राम सिंह, लाल सिंह पि. घीसा सिंह के नाम अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि भोमा सिंह की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। उक्त आराजी पर राम सिंह व लाल सिंह का बराबर हक व हिस्सा निहित है। राम सिंह के वारिस प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 3 है। लाल सिंह अप्रार्थी संख्या 1 है। आराजी मुतनाजा अविभाजित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी की जा रही है व अन्यत्र हस्तोतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मृतक भोमा व उसकी पत्नी देउ ने अपने जीवनकाल में राहुल पुत्र अजमाल को जरियें पंजीकृत गोदनामा दिनांक 3.5.2005 को गोद लिया था। हाजा न्यायालय में पूर्व में एक प्रार्िना पत्र संख्या 139/2007 दर्ज हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा व ग्राम भवानीखेडा की अन्य आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण राजीनामा से अपने भाई राम सिंह व लाल सिंह पुत्र घीसा के के पक्ष में हकत्याग कर दिया था। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब के समर्थन में उक्त गोदनामा व पूर्व में विचाराधीन प्रकरण की प्रतिलिपि पेश नही की हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 03.05.2005 को बताये गये गोदनामे की पालना भी राजस्व अभिलेख में आज दिवस तक नही हुयी है। आराजी मुतनाजा अविभाजित हैं। भोम सिंह के विरासत की सिििति मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाबके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किये हैं। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक भूमि का संरक्षण किया जाना न्यायोचित है। मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा पर भोम सिंह की विरासत का निर्धारध किया जाना शेष है.।अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा का हस्तांतरण किया जाता है तो प्रार्थीगण के हित प्रभावित होगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उपरोक्त प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 1.47 व 172 रकबा 0.61 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है।

---2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।भूमि के विशिष्ट भू भाग का बेचान नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested